



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 425]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर 2011—भाद्र 24, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्र. 45-एफ-4-108-2009-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, न्यू रामनगर, जिला सतना को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद्, न्यू रामनगर अधिसूचित किया जाता है :—

क्रमांक	जिला	तहसील	क्षेत्र का नाम	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण-ग्राम पंचायत का नाम (ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्राम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सतना	रामनगर	नगर परिषद् न्यू रामनगर	बम्हनाडी (बम्हनाडी, हरदुआ कोठार) न्यू रामनगर दक्षिणी (बम्हनाडी) न्यू रामनगर उत्तरी (बदरखा) भिटारी (करौदिया, भिटारी) गोरहाई [गोरहाई, तुर्की, इटमा, झगरहा, पगरा (बीरान)] भरतपुर (भरतपुर, कटनी, पोडिया, कटिया, गुरजनहा, बिजौरा).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.